संख्या–3926 /सेक–2–पांच–16–7(192)/2014

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

विषयः–प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (पी0एम0एच0एस0 संवर्ग) के पदधारकों को ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था की स्वीकृति।

महोदय,

मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या–15/2015/794/सेक–2–पांच–15–7(192)/2014, दिनांक 26 फरवरी, 2015 द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (पी0एम0एच0एस0 संवर्ग) के पदधारकों के लिए ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 26, फरवरी, 2015 के प्रस्तर–3, जो ऐसे पदधारक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व विशिष्ट व्यवस्था में लाभ मिल चुके हैं, को विशिष्ट ए0सी0पी0 स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित है, में की गयी वर्तमान व्यवस्था के अनुसार चिकित्साधिकारियों को विशिष्ट ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु सेवावधि की गणना, नियमित नियुक्ति की तिथि से की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार सम्बन्धित कार्मिकों को समयमान वेतनमान की विशिष्ट व्यवस्था के अन्तर्गत लाभों की अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि की गणना में ली गयी तदर्थ सेवाओं का लाभ विशिष्ट ए0सी0पी0 अनुमन्य कराये जाने में नहीं मिल पा रहा है जबकि ए0सी0पी0 की व्यवस्था से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–773/दस–62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर–4 के उप प्रस्तर–v के अनुसार समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता हेतु जिन तदर्थ सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए0सी0पी0 की व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु गणना में लिये जाने के निर्देश हैं। उक्त स्थिति में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2015 के प्रस्तर–3 मे की व्यवस्था को उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 की व्यवस्था के क्रम में संशोधित किया जाना अपेक्षित है। अतः उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2015 के प्रस्तर–3 के नीचे परन्तुक के रूप में निम्न विवरण का समावेश किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

''परन्तु यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को धारित पद के सापेक्ष पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की विशिष्ट व्यवस्था के अन्तर्गत 05 वर्षीय अथवा 16 वर्षीय लाभ प्राप्त कर वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत हैं तो पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता हेतु जिन तदर्थ सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, उन तदर्थ सेवाओं को ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु भी गणना में लिया जायेगा।''

2– शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और उक्त शासनादेश की अन्य व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—वे0आ0—1—988/दस—2016, दिनांक 30.11.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 3926 (1)/सेक—2—पॉच—16, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला/पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. वित्त(सामान्य)अनुभाग—1/2/3 ।
10. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग—3।
11. वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग—1/2 (तीन प्रतियों में)
12. चिकित्सा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
13. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उपसचिव।